

प्रति,

अपर संचालक,
विज्ञापन शाखा,
जनसंपर्क संचालनालय,
बाण गंगा,भोपाल (मध्य प्रदेश)

//सर्वोच्च प्राथमिकता//

//संशोधित निःशक्तजन, दिव्यांग भर्ती निरस्तीकरण विज्ञापन//

विषय. निःशक्तजनों के लिये आरक्षित पदों पर सीधी भर्ती हेतु जारी विज्ञापित जी-
14617/18 निरस्त करने बाबत !

विषयान्तर्गत,संभागीय उपायुक्त,वाणिज्यिक कर सतना तथा उनके अधीनस्थ कार्यालयों सतना में तृतीय श्रेणी (लिपिक वर्गीय) संवर्ग एवं चतुर्थ श्रेणी हेतु निःशक्तजनों के पदों की पूर्ति के लिये विज्ञापित प्रकाशित कराई गई थी ! उक्त जारी विज्ञापित निरस्त किये जाने हेतु प्रमुख समाचार पत्रों में सर्वोच्च प्राथमिकता पर प्रकाशितकराये जाने का कष्ट करें !

1. रोजगार समाचार मध्य प्रदेश में प्रकाशित किये जाने हेतु
संलग्न: उपरोक्तानुसार विज्ञापित.पांच प्रतियों में




संभागीय उपायुक्त,
वाणिज्यिक कर,सतना मध्य प्रदेश

पृष्ठाकन क्रमांक/वाक/उपा/स्था/18/516

सतना दिनांक 23-7-18

प्रतिलिपि- 1.श्री मान आयुक्त महोदय वाणिज्यिक कर मध्य प्रदेश इन्दौर की ओर
सूचनार्थ प्रेषित!

- ✓ 2. कम्प्यूटर कक्ष की ओर मुख्यालय की ओर विभागीय वेबसाईट में उक्त विज्ञापन लोड करने हेतु !
3. नोटिस बोर्ड में चस्पा हेतु !



संभागीय उपायुक्त,
वाणिज्यिक कर,सतना म0प्र0

कार्यालय संभागीय उपायुक्त वाणिज्यिक कर, सतना म0प्र0

क्रमांक/वाकर/उपा/स्था/18/517

सतना दिनांक 23-7-18

// दिव्यांग(निःशक्तजन) भरती निरस्तीकरण आदेश //

कार्यालय संभागीय उपायुक्त वाणिज्यिक कर सतना का दिव्यांग (निःशक्तजन भरती) अभियान " तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी " , मध्य प्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 8/4/2001/आप्र/एक(पार्ट) भोपाल दिनांक 03/07/2018 से दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 एवं नियम 2017 के तहत शारीरिक रूप से दिव्यांगों के लिये द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों के आरक्षण में संशोधन पूर्व में स्थापित व्यवस्था तीन श्रेणियों के स्थान पर पांच श्रेणियों में आरक्षण को विभाजित किया गया है, इसके अतिरिक्त पूर्व के विज्ञापन में कतिपय कमियों से **विज्ञापन क्रमांक जी- 14617/18 आगामी आदेश तक निरस्त किया जाता है !** मध्य प्रदेश शासन के आदेश क्रमांक एफ-6-1/2002/आ0प्र0/एक भोपाल दिनांक 18 जुलाई 2018 निःशक्तजनों के रिक्तपदों की समय सीमा में दिनांक 01/07/2018 से 30/06/2019 तक एक वर्ष की वृद्धि की गई है अतः निःशक्तजन भरती हेतु विज्ञापन पुनः प्रसारित किया जावेगा !



संभागीय उपायुक्त,
वाणिज्यिक कर, सतना म0प्र0